

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1882

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने की नीति

1882. श्री राजीव राय:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत आठ वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में राज्य-वार और वर्ष-वार कितने लोगों की मृत्यु हुई है;
(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु, चोटों तथा दुर्घटनाओं के लिए भुगतान किए गए मुआवजे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) मृतकों को मुआवजा प्रदान करने और घायलों के उपचार संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और खर्च की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से 2024 के लिए देश में सड़क की सभी श्रेणियों पर सड़क दुर्घटना में हुई मौतों का विवरण अनुलग्नक-1 के अनुसार संलग्न है। वर्ष 2017 से 2024 के लिए देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना में हुई मौतों और चोटों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है -

वर्ष	सड़क दुर्घटना में हुई मौतें	चोट
2017	53,796	1,39,856
2018	56,310	1,40,133
2019	56,587	1,37,600
2020	50,251	1,10,087
2021	56,007	1,17,765
2022	61,038	1,44,352
2023	63,112	1,43,031
2024	64,673	1,45,877

टिप्पण - दिनांक 08.12.2025 के अनुसार ईडीएआर पोर्टल से लिए गए वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल का डेटा।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार, केंद्र सरकार को हिट और रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजा प्रदान करना होता है। तदनुसार, सरकार ने सा.का.नि. 163(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2022 को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना, 2022 के पीड़ितों को हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के कारण व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुआवजे को अधिसूचित किया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई है। इस योजना के तहत, मृत्यु के

मामले में 2 लाख रुपये की एक निश्चित राशि और गंभीर चोट के मामले में 50,000 रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ित योजना, 2025 के लिए कैशलेस उपचार को का.आ. 2015 (अ) दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। विभिन्न हितधारकों की प्रक्रिया प्रवाह, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और इसके कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विवरण देने वाले व्यापक दिशानिर्देश का.आ. 2489 (अ) दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से जारी किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति दुर्घटना प्रति पीड़ित 1.5 लाख ₹ तक के कैशलेस उपचार के हकदार हैं और किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों सहित हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मुआवजे पर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ में)
2022-23	1.78
2023-24	50.81
2024-25	84.06
2025-26 अक्टूबर, 2025 तक)	74.94

(घ) सड़क सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के रूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की शुरुआत के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा पहल तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव सभी चरणों में अनिवार्य कर दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं के लिए व्यय की जाने वाली आवंटित धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए शामिल संरचनाओं के आधार पर विकास परियोजनाओं की कुल लागत के 2.21% से 15% तक अलग-अलग होती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता और प्रचार के निर्माण की योजना को भी लागू करती है और मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों की स्थापना, मॉडल निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार और सुदृढीकरण आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन पहलों के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ड) आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं जिसमें तेज गति से वाहन (ड्राइविंग) चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर ड्राइविंग करना, गलत साइड में ड्राइविंग करना/लेन अनुशासनहीनता, लाल बत्ती का उल्लंघन, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति, आदि शामिल है।

'सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा देने की नीति' के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1882 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2017 से 2024 तक सड़क दुर्घटना मौतों की राज्य-वार संख्या									
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	8060	7,556	7,984	7,039	8,186	8,293	8,137	8346
2	अरुणाचल प्रदेश	110	175	127	73	157	148	145	168
3	असम	2783	2,966	3,208	2,629	3,036	2,994	3,296	3351
4	बिहार	5554	6,729	7,205	6,699	7,660	8,898	8,873	9347
5	छत्तीसगढ़	4136	4,592	5,003	4,606	5,371	5,834	6,166	6945
6	गोवा	328	262	297	223	226	271	290	286
7	गुजरात	7289	7,996	7,390	6,170	7,452	7,618	7,854	7717
8	हरियाणा	5120	5,118	5,057	4,507	4,706	4,915	4,968	4689
9	हिमाचल प्रदेश	1203	1,208	1,146	893	1,052	1,032	889	869
10	झारखंड	3256	3,542	3,801	3,044	3,513	3,898	4,173	4114
11	कर्नाटक	10609	10,990	10,958	9,760	10,038	11,702	12,321	12390
12	केरल	4131	4,303	4,440	2,979	3,429	4,317	4,080	3880
13	मध्य प्रदेश	10177	10,706	11,249	11,141	12,057	13,427	13,798	14791
14	महाराष्ट्र	12264	13,261	12,788	11,569	13,528	15,224	15,366	15715
15	मणिपुर	136	134	156	127	110	127	73	72
16	मेघालय	182	182	179	144	187	162	168	197
17	मिजोरम	60	45	48	42	56	113	96	110
18	नागालैंड	41	39	26	53	55	73	86	62
19	ओडिशा	4790	5,315	5,333	4,738	5,081	5,467	5,739	6142
20	पंजाब	4463	4,740	4,525	3,898	4,589	4,756	4,829	4759
21	राजस्थान	10444	10,320	10,563	9,250	10,043	11,104	11,762	11790
22	सिक्किम	78	85	73	47	56	92	57	67
23	तमिलनाडु	17918	18,392	18,129	14,527	15,384	17,884	18,347	18449
24	तेलंगाना	6596	6,603	6,964	6,882	7,557	7,559	7,660	7949
25	त्रिपुरा	161	213	239	192	194	241	261	226
26	उत्तराखंड	942	1,047	867	674	820	1,042	1,054	1090
27	उत्तर प्रदेश	20124	22,256	22,655	19,149	21,227	22,595	23,652	24118
28	पश्चिम बंगाल	6098	5,711	5,767	5,128	5,800	6,002	6,027	6678
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21	19	20	14	20	19	24	29
30	चंडीगढ़	107	98	104	53	96	83	67	75
31	दादरा और नगर हवेली	43	54	49	64	76*	90*	74	95

32	दमन और दीव	36	35	28	*	*	*	*	
33	दिल्ली	1584	1,690	1,463	1,196	1,239	1,461	1,457	1551
34	जम्मू और कश्मीर#	926	984	996	728	774	805	893	831
35	लद्दाख	–	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	56	62	59	61
36	लक्षद्वीप	0	1	0	0	1	2	0	0
37	पुडुचेरी	233	226	147	145	140	181	149	218
कुल (संपूर्ण भारत)		150003	1,57,593	158984	138383	153972	168491	172890	177177

टिप्पणः

- *वर्ष 2020 से आगे के दमन और दीव के डेटा को दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है
- पश्चिम बंगाल के लिए कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 और तमिलनाडु के लिए कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के लिए डेटा का मिलान किया गया है।
- दिनांक 08.12.2025 को ईडीएआर पोर्टल से लिए गए वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल के डेटा।

एनए: उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक - II

'सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा देने की नीति' के संबंध में श्री राजीव राय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1882 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न सड़क सुरक्षा पहलों/योजनाओं के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रु. में)							
क्र.सं.	कार्यकलाप/कार्यक्रम	बजट अनुमान वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय	बजट अनुमान वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2023-24 में व्यय	बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय
1	सड़क सुरक्षा प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस), असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास आदि।	189.50	68.67	138.10	85.04	103.50	99.20
2	निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र (राजस्व)	33.00	14.60	24.00	17.77	19.50	10.65
3	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण	15.00*	30.33	50.00	38.00	38.00	16.04

*संशोधित अनुमान चरण में 40.00 करोड़ रुपये
